न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः— 2/216/2025 दायर दिनांकः— 04/09/2025

जीसीएमएस नं0:— 2025/408 निर्णय दिनांकः— 18/11/2025

वउनवान

1. सुबहसिंह पुत्र पप्पूराम जाति जाट निवासी जहाडू तहसील कठूमर जिला अलवर

सायल

बनाम

1. ग्राम पंचायत जहाडू जरिये सरपंच ग्राम पंचायत जहाडू पंचायत समिति कठूमर जिला अलवर
2. सचिव ग्राम पंचायत जहाडू पंचायत समिति कठूमर जिला अलवर
3. विकास अधिकारी पंचायत समिति कठूमर
4. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर अलवर

गैरसायलान**प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

उपस्थितः—श्री औमवीरसिंह एडवोकेट
श्री सतवीर राणा—अधिवक्तागण

सायल

—::निर्णय::—

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 534 रकवा 0.04 हे0 वाके ग्राम जहाडू तहसील कठूमर में स्थित है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी सायल के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिसकी हदूद अर्वा तरफ उत्तर में आराजी खसरा नम्बर 535 तरफ दक्षिण में रामकरण देवकरण का खेत तरफ पूर्व में ग्राम जहाडू से नया कुआ पश्चिम इस तरफ रास्ता है। उक्त आराजी सायल की कब्जे काश्त

खातेदारी की आराजी है। गैरसायलान का उक्त आराजी से किसी प्रकार का सम्बन्ध व सरोकार किसी किस्म का नहीं है। जिस समय उक्त आराजी में 37 बाई 37 फुट में राजीव गांधी केन्द्र का निर्माण किया गया था उस समय सायल नाबालिग था। सायल का पिता शराब पीता था जो 15–15 दिन बाहर रहता था तथा सायल का दादा विना पढा लिखा था इस कारण चुनावी रंजिश के कारण गैरसायल सं0 1 ला0 3 ने योजना बनाकर सायल की खातोदारी की आराजी में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र 37 बाई 37 फुट बनाकर सायल की खातेदारी की आराजी में बना लिया। यह सारी कार्यवाही ग्राम पंचायत जहाडू का सरपंच के द्वारा की गयी थी उसने सायल व उसके परिवार से चुनावी रंजिश के कारण विना सायल की सहमति सायल के पिता व दादा को विना सुनाये अपने औहदे का दुरूपयोग करते हुये अवेद्य रूप से निर्माण किया है जो गैरकानूनी है। जव सायल को पता चला तो सायल ने गैरसायल सं0 1 व 2 से ध्वस्त कराने के लिये कहा तो गैरसायलान ने निर्माण ध्वस्त करने से साफ इन्कार कर दिया जवकि उक्त आराजी के खातेदार से भी कोई निर्मा के लिये दान पत्र व सहमति नही ली गयी। गैरसायलान पंचायतराज के प्रतिनिधि है जो कि अपेन पद का दुरूपयोग करते हुये उन्होंने सायल को एलानियां धमकी दी कि हम तुझे तेरी आराजी पर शांति पूर्वक काश्त नहीं करने देगें हम इसमे और कच्चा पकका निर्माण करेगें। यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायल तवाह एंव वर्वाद हो जावेगा। दीगर मुकदमा बाजी वढेगी जिससे सायल को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायल ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव

किया गया।

गैरसायल सं0 1 व 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि दिनांक 02.06.2010 को जयसिंह पुत्र मोहना जाति जाट निवासी जहाडू ने एक रजिस्टर्ड दान पत्र जरिये सचिव ग्राम पंचायत जहाडू के हक में इस तरह तहरीर किया है कि आराजी खसरा नम्बर 534/840 रकवा 0.03 हे0 वाके जहाडू में से एक प्लाट जिसकी नाप

पूर्व से पश्चिम 45 फुट उत्तर से दक्षिण 45 कुल 2025 वर्ग फुट के हकूक खातेदारी वो हकूक काश्त को विना कोई प्रतिफल प्राप्त किये राजीव गांधी सेवा केन्द्र के निर्माण के लिये ग्राम पंचायत जहाडू पंचायत समिति कठूमर को निशुल्क दान दे दिया है तथा कब्जा उपरोक्त प्लाट पर ग्राम पंचायत जहाडू जरिये सचिव श्री बाबूलाल मीणा सचिव को दे दिया है यदि ग्राम पंचायत इस पर राजीव गांधी सेवा केन्द्र का निर्माण करे तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। इस प्लाट से भविष्य में मेरा व मेरे वारिसों का किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार किसी प्रकार का नहीं रहेगा। उक्त दान पत्र 100 रूपये के स्टाम्प पर तहरीर करा कर ग्राम पंचायत जहाडू कर दिया और कब्जा दे दिया है। उक्त प्लाट पर ग्राम पंचायत जहाडू ने राजीव गांधी अटल सेवा केन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण कर रखा है और अटल सेवा केन्द्र पर चालू है सायल ने राजनैतिक रंजिश की वजह से समस्त तथ्य गलत दर्ज कराये है। इस वजह से सायल का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। गैरसायल सं0 3–4 बाबजूद रजिस्टर्ड डाक सूचना के उपस्थित नहीं आये जिनके विरूद्व दिनांक 25.09.2025 को एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 वाके ग्राम जहाडू की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

सायल को प्रार्थना पत्र में सफलता प्राप्त करने के लिये निम्न तीन विन्दुओं को अपने पक्ष में सावित करना है –

1. **प्रथम दृष्टा केस**
2. **सुविधा का सन्तुलन**
3. **ना पूर्ति होने वाली क्षति**

प्रथम दृष्टा केसः–विद्वान अधिवक्ता सायल ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी सायल की खातेदारी की दर्ज रिकार्ड आराजी है जिसके 37 बाई 37 फुट पर गैरसायल सं0 1–2 ने भार निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र का निर्माण सायल की विना सहमति से कर लिया है उसे तुडवाया जावे व गैरसायलान के पाबन्द किया जावे कि वो उक्त

आराजी में सायल के कब्जे काश्त में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें। कच्चा पक्का निर्माण ना करे। अधिवक्ता गैरसायलान ने सायल के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को गलत बताते हुये कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 534/840 रकवा 0.03 हे0 वाके ग्राम जहाडू में से 45 बाई 45 वर्ग फुट भूमि का इसके खातेदार जयसिंह द्वारा दिनांक 02.06.2010 को ग्राम पंचायत जहाडू के हक में राजीव गांधी सेवा केन्द्र निर्माण के लिये दान पत्र रजिस्टर्ड कराया था। जिस पर गैरसायलान द्वारा विधिवत अटल सेवा केन्द्र का निर्माण सरकार से वित्तिय स्वीकृति मिलने पर कराया गया है। अटल सेवा केन्द्र खसरा नम्बर 534 में होकर खसरा नम्बर 534/840 में है। जिससे सायल का किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। सायल ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किया जावे। अधिवक्ता गैरसायलान ने अपने समर्थन में जमाबन्दी हाल व दान पत्र दिनांक 02.06.2010 की छाया प्रति पेश की है।

हमने पत्रावली के तथ्यों सायल ने अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने के लिये जमाबन्दी हाल की छाया प्रति पेश की है तथा गैरसायलान ने अपने तथ्यों को सावित करने के लिये जमाबन्दी हाल व रजिस्टर्ड दान पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की हे। अटल सेवा केन्द्र का निर्माण हो चुका है यह स्वीकारोक्ति कथन है जो खसरा नम्बर 534 में निर्मित है या खसरा नम्बर 534/840 में यह तो मूल वाद के निस्तारण के समय साक्ष्य सवूत के आधार पर तय किया जावेगा। सायल को अटल सेवा निर्माण से किसी तरह की असुविधा हो रही हो इस तरह की स्थिति प्रथम दृष्टा अदालत के समक्ष नहीं है।

सुविधा का सन्तुलनः—सायल का कथन कि अटल सेवा केन्द्र खसरा नम्बर 534 सायल की खातेदारी में सायल की विना सहमति से निर्मित कर लिया गया है जवकि गैरसायलान का कथन है कि अटल सेवा केन्द्र के लिये खातेदार जयसिंह ने 45 बाई 45 फुट जमीन का दान पत्र ग्राम पंचायत के हक में खसरा नम्बर 534/840 वाके जहाडू में से अटल सेवा केन्द्र निर्माण के लिये दी है रजिस्टर्ड दान पत्र की छाया प्रति व जमाबन्दी पेश की गयी है। अटल सेवा केन्द्र का निर्माण हो चुका है। इस निर्माण से सायल को किस तरह से असुविधा हो रही है यह सायल ने सावित नहीं किया है।

अतः सुविधा का सन्तुलन भी सायल के पक्ष में सावित ना होकर गैरसायलान के पक्ष में सावित है। अतः सुविधा का सन्तुलन भी गैरसायलान के पक्ष में प्रतीत होता है।

ना पूर्ति होने वाली क्षतिः—सायल का कथन कि अटल सेवा केन्द्र खसरा नम्बर 534 सायल की खातेदारी में सायल की विना सहमति से निर्मित कर लिया गया है जवकि गैरसायलान का कथन है कि अटल सेवा केन्द्र के लिये खातेदार जयसिंह ने 45 बाई 45 फुट जमीन का दान पत्र ग्राम पंचायत के हक में खसरा नम्बर 534/840 वाके जहाडू में से अटल सेवा केन्द्र निर्माण के लिये दी है रजिस्टर्ड दान पत्र की छाया प्रति व जमाबन्दी पेश की गयी है। अटल सेवा केन्द्र का निर्माण हो चुका है। सायल को किसी तरह की क्षति हो रही हो सायल ने सावित नहीं किया है। अतः ना पूर्ति होने वाली क्षति का विन्दु भी सायल के पक्ष में सावित नहीं है।

उपरोक्त बिन्दुओ के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र साबित होने ना के कारण अस्वीकार किये जाने योग्य प्रतित होता है।

—:आदेशः—

उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों विन्दु सायल के पक्ष में सायल नहीं है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र सावित ना होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर, अलवर